

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय


:: संशोधित आदेश ::

भोपाल, दिनांक 02-11-2020

क्रमांक एफ-14-2/2008/42-2: राज्य शासन एतद् द्वारा "मुख्यमंत्री जन-कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना" के विभागीय आदेश 09.07.2018 की कंडिका-4.1 में निम्नानुसार परन्तुक जोड़ता है:-

"परन्तु, ऐसे विद्यार्थी जिनके द्वारा प्रवेशित वर्ष में योजना का लाभ लेने के बाद उसी वर्ष/आगामी वर्षों में पाठ्यक्रम/संस्था बदली जाकर अन्यत्र पाठ्यक्रम/संस्था में प्रवेश लिया जाता है, उन्हें योजना में पूर्व से प्राप्त लाभ की राशि को समायोजित/वापिस कर, नवीन/परिवर्तित पाठ्यक्रम/संस्था में योजना का लाभ दिया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(डॉ. एम. आर. धाकड़)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग


भोपाल दिनांक 02-11-2020

पृ.क्रमांक एफ-14-2/2008/42-2:

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा/पशुपालन विभाग।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
6. प्रमुख सचिव (समन्वय), म.प्र. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय।

7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
 8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग।
 9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., बेसमेंट विन्ध्याचल भवन, भोपाल को अनुरोध है कि संशोधन अनुसार पोर्टल में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही करें।
 10. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
 11. आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 12. आयुक्त, कोष एवं लेखा भोपाल।
 13. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
 14. स्टाफ पंजी
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग